

24/1/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 31/1/25 को पेश हो।

20
आदेश से पीछर

31/1/25-

पत्रावली पेश हुई। कडी आदेश निकासी आदेश 03/20
एक वन विभाजन पत्राव के इलाज से
दिनांक 25/1/25 को पेश हो

27

25/2/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 10/3/25 को पेश हो।

आदेश से पीछर

10/3/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बाघ
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया
हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य से व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 27/3/25 को पेश हो।

2
आदेश से पीछर

27/3/25

पत्रावली पेश हुई। ~~कडी~~ कडी
आरी. उप.। बैरोकार लकार उप.।

पैरोकार मकार शरु जवान उष्टुल लिकादि
वादीगात वरिमान शरफब रिपोर्ट के अनुसार
खलेदार नहीं है। अतः कुख्यात पत्राव तैमा
क्रियावात सम्भव नहीं है। वादी शरीरवत
की अराजक आवादी की जर्त से वादीगात के
खारेजा नहीं होने एवं शरफ-मान काम लकारी शरीरवत
की शरु 53 के अन्तर्गत वादी का खारेजा होना
शरु शरफक बाबर-बरस जुमी गई। पैरोकार लकार
मरा खारेजा नहीं होने से वादीगात जा रि लिकादि जाने का
निश्चयन किया गया।

उमजपत शरीरवत की तरफ का शिंतन
शे अतन क्रिया गया। पत्रावली का शरु लोकात क्रिया
गया। ~~कडी~~ सम्बन्धीत लिकादि का अन्तर्धीलत

— लकार — 27/3/25
सफर कलीक्टर
लवाडा

प्रकरण सं. 2023/2024

प्रत्यव उन्वान दुर्गा

नम्बर वा तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

दिनांक

हुकम-या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

27/3/25

किया गया शरणमान कारतकारी भाक्षी निद्रु की धारा
53 के अनुसार वारी का सह आत्रिषारी लोग आवशक
है। वादीगणकेवतीमान शरणत्व रिकॉर्ड के अनुसार सह
आत्रिषारी नहीं होने से वादीगण मरा उल्लुत बाद
खारिज किया जाता है। निषयि मरे इवलाल सुतापा
गणा डिक्ली पचरि वाबी है।

प्रभावली फैसल शुमार लेकर
दाखील दफतर ही नगा नम्बर से कम ही।

27/3/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. पल्लव कुमार पुत्र भगवती लाल डिडवानिया जाति ब्राहमण निवासी कोटड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मधुखेमानी पत्नी भगवती लाल डिडवानिया जाति ब्राहमण निवासी कोटड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. दुर्गेश पिता देवा जाति दरोगा आयु वयस्क निवी कारोई खुर्द तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात**

प्रकरण संख्या 23/2024 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित - इस वाद में आज तारीख 27.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार वादी का सह अभिधारी होना आवश्यक है। वादीगण के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सह अभिधारी नहीं होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा